Tele : 26189210
Fax : 2618 3227
Web: www.ncbc.nic.in

त्रिकूट-१,भीकाजीकामाप्लेस,
नईदिल्ली-११००६६
Trikoot-1, BhikajiCama Place,
New Delhi - 110066

भारतसरकार
सामाजिकन्यायएवंअधिकारितामंत्रालय
राष्ट्रीयपिछड़ावर्गआयोग
Government of India
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 'B' of the Constitution of India)

F. No. NCBC/06/11/138/2019-CP **Date: 23.03.2021**

To,

1. **The District Magistrate,**
   O/o District Magistrate,
   Arwal, Bihar- 804401.
   (Email: dm-arwal.bih@nic.in)

2. **The Superintendent of Police,**
   Collaborate Building, Arwal,
   Bihar- 804401
   (Email: sp-arwal-bih@nic.in)

Sub: In the matter of Shri Lal Mohan Chaudhary regarding threatening to kill the petitioner.

Sir,

I am directed to refer to hearing dated 05.03.2021 at 11:30 AM on the above mentioned subject and to forward herewith Minutes of the hearing for necessary action and furnish action taken report to this Commission at the earliest.

2. This issues with the approval of Hon'ble Chairman, NCBC.

Encl: As above

Yours faithfully,

M.M. Chattopadhyay.
(Dr. M.M. Chattopadhyay)
Joint Director (Admin)

मि. सं. रा. पि. व. आ./06/11/138/2019-CP
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसंधान अनुभाग
सुनवाई के कार्यवृत

श्री लाल मोहन चौधरी द्वारा प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ता को अपनी जमीन को जोतने से रोकने एवं जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 05.03.2021 समय 11:30 बजे सुनवाई नियत की गयी।

सुनवाई मे उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री आचारी तलोजू, माननीय सदस्य
3. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव मा. अध्यक्ष
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी

आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री बिदुर भारती, जिलाधिकारी, अरवल

उपस्थित शिकायतकर्ता :-

1. श्री विश्वेन्द्र, विधि सलाहकार (शिकायतकर्ता की ओर से)

सुनवाई के दौरान हुए चर्चा का विस्तृत विवरण;

श्री विश्वेन्द्र (शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता): शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा आयोग को यह अवगत करवाया गया कि ग्राम-अमरा, पोस्ट-रामपुर वैना, थाना-परासी, जिला-अरवल, बिहार में खाता संख्या 296 फ्लेट न. 728, 586, 579, 578, 577/1950, 578/1962, 561/1960, 550/1963, 729, 578/1961 कुल 10 प्लौट ऐ राजी 3 एकड़ 893 डी. (विधा 4 कट्टा 10 धुरी भूमि) भूमि है। वर्ष 1955 से लेकर 1984 के बीच की अवधि में प्रार्थी के पूर्वजो द्वारा खरीदी गई है एवं जोती जा रही है। श्री राम प्रवेश तिवारी पक्ष द्वारा प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है जिसके लिए भूमि सुधार न्यायालय में भी याचिका दी गई थी परंतु उन्हें वहां पर भी कोई राहत नहीं मिली एवं श्री राम प्रवेश तिवारी

की याचिका को खारिच कर दिया गया। सारे फैसले प्रार्थी के पक्ष में आने के बाद भी प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान कर प्रार्थी को राहत दिलवाये।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष : आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री बिदुर भारती, जिलाधिकारी, अरवल: सर, दोनों पक्षों को तहसीलदार न्यायालय में बुलाया गया था तो श्री राम प्रवेश तिवारी पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कैडेस्टरल सर्वे के खतियान में वह भूमि उनके नाम पर दर्ज है। श्री लाल मोहन चौधरी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि ये लोग वर्ष 1955 से ही उस भूमि पर खेती करते आ रहे है। श्री दुसाध द्वारा यह भूमि श्री लाल मोहन चौधरी के पूर्वजो को जमीदारी प्रथा के अंतर्गत बंदोवस्त की गई थी जबकि कैडेस्टरल सर्वे के खतियान में वह भूमि तिवारी ग्रुप के नाम पर दर्ज है।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष : यह सर्वे किस वर्ष का है?

श्री बिदुर भारती, जिलाधिकारी, अरवल: सर्वे का वर्ष स्पष्ट नहीं है परंतु मेरे अनुसार वर्ष 1906, 1932 एवं 1970 में हुआ है।

श्री आचारी तलोजू, माननीय सदस्य: सर्वे में केवल डाइमेंशन ही दिखाई देता है उससे यह तो पता नहीं लग पता है की जमीन किसकी है।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष : सर्वे में जमीन किसके नाम पर है।

श्री बिदुर भारती, जिलाधिकारी, अरवल: अभी तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार सर्वे में भूमि श्री तिवारी के नाम पर ही है।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष : न्यायालय के द्वारा क्लीन चिट किसको मिला है?

श्री बिदुर भारती, जिलाधिकारी, अरवल: न्यायालय के द्वारा किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिला है। न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि यह टाइटल सूट का मामला है अतः आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। तहसीलदार के कोर्ट में भी यही कहा गया क्योंकि वह कम्पीटेंट अथॉरिटी नहीं है टाइटल सूट के केस में, एवं एसडीएम के कोर्ट में भी यही कहा गया। एसडीएम न्यायालय के द्वारा आदेश देने के बाद जहानाबाद में टाइटल सूट दाखिल किया गया। 2018 से जब से यह मामला चल रहा है तभी से विवाद की वजह से वहां पर धारा 144 एवं धारा 107 लगाया गया था। अभी पुनः शिकायत आने के बाद पुनः धारा 144 वहां पर लगाई गई है। परासी थाना के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में यह कहा गया है कि तिवारी ग्रुप के लोग उद्दंड प्रकृति के हैं एवं वे वहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, अतः फरवरी में पुनः वहां पर धारा 144 लगाई गई है। यह मामला अभी भी जहानाबाद कोर्ट में विचाराधीन है।

श्री विश्वेन्द्र (शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता): लैंड रिफॉर्म कोर्ट के आदेश, एस. ओ. की रिपोर्ट एवं 145 कार्यवाही में कही पर भी यह नहीं की टाइटल सूट दायर करना ही है। श्री लाल मोहन चौधरी को कार्य भी नहीं करने दिया जा रहा है।

श्री बिदुर भारती, जिलाधिकारी, अरवल: श्री लाल मोहन चौधरी ने जान से मारने संबंधी कोई भी शिकायत हमे नहीं दी है।

श्री दिनेश कुमार माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव: जान से मारने संबंधी नहीं पर जमीन के विवाद संबंधी कई शिकायतें प्रार्थी द्वारा दी गई है। इस बारें में पहले भी पूर्व एस.एस. पी. एवं थाना अध्यक्ष से बात की गई थी एवं उन्होंने आश्वस्त भी किया गया था कि मामलें का निपटान अतिशीघ्र किया जाएगा उसी के आधार पर अगस्त 2020 में धारा 107 लगायी गई थी जिसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ था, आयोग के हस्तक्षेप करने के बाद ही कोई कार्यवाही की गई है।

सुनवाई के पश्चात् डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष ने यह अपेक्षा की है कि इस संबंध में निष्पक्ष कार्यवाही कर मामलें का निपटान किया जाए, क्योंकि जमीन को श्री लालमोहन चौधरी जी वर्ष 1955 से वर्ष 2018 तक जोत रहे थे व जमीन के पर्याप्त कागज भी इनके पास है। अतः जिला प्रशासन 60 दिनों में जमीन पर दखल कब्जा श्री लाल मोहन चौधरी को दिलाएं एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए ।

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग